विविध बैंक प्रकरण सं0 14/2018 एयू स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 19–ए धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर–302001 राजस्थान बनाम 1– श्री लाभ सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह निवासी 17 एसडीए, 10 सरकारी तहसील विजयनगर–335704, 2. श्रीमती चरणजीत कौर निवासी 17 एसडीए, 10 सरकारी तहसील विजयनगर–335704, 3. श्री रोहिताश कुमार पुत्र लक्ष्मण राम निवासी 220, एसजीआर का दांया भाग, तहसील व जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

23.05.2017

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से श्री देवेन्द्र सिंह संधू, अभिभाषक उपस्थित है। उनकी बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अभिभाषक श्री देवेन्द्र सिंह संधू का कथन था कि उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी 1– श्री लाभ सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह निवासी 17 एसडीए, 10 सरकारी तहसील विजयनगर–335704, 2. श्रीमती चरणजीत कौर निवासी 17 एसडीए, 10 सरकारी तहसील विजयनगर–335704, 3. श्री रोहिताश कुमार पुत्र लक्ष्मण राम निवासी 220, एसजीआर का दांया भाग, तहसील व जिला श्रीगंगानगर को ऋण सुविधा के रूप में ऋण 4,00,000/–रूपये (अखरे रूपये चार लाख मात्र) दिनांक 06.12.2012 को स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी चल व अचल सम्पति पंचायत समिति अनूपगढ द्वारा जारी पट्टा संख्या 09, संकल्प संख्या 01/20.072012 के अनुसार तहसील श्रीविजयनगर में स्थित है, जो श्री लाभ सिंह के नाम से है एवं माप 8000 वर्गफुट प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण अप्रार्थी का ऋण खाता दिनांक 12.04.2016 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 29.04.2017 को कुल 3,87,498 रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अतिरिक्त है। अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 04.05.2017 को बकाया राशि एवं इसके बाद की ब्याज राशि व अन्य खर्चे जमा करवाने का दिया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। प्रार्थी बैंक द्वारा धारा 14 के प्रा0 पत्र के साथ अधिनियम की धारा 14 किये गये संशोधन के अनुसार अपना शपथ पत्र भी साथ में पेश किया है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी उक्त चल व अचल सम्पति पंचायत समिति अनूपगढ द्वारा जारी पट्टा संख्या 09, संकल्प संख्या 01/20.07.2012 के अनुसार तहसील श्रीविजयनगर में स्थित है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 इसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 03.01.2018 का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी 1– श्री लाभ सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह निवासी 17 एसडीए, 10 सरकारी तहसील विजयनगर–335704, 2. श्रीमती चरणजीत कौर निवासी 17 एसडीए, 10 सरकारी तहसील विजयनगर–335704, 3. श्री रोहिताश कुमार पुत्र लक्ष्मण राम निवासी 220, एसजीआर का दांया भाग, तहसील व जिला श्रीगंगानगर को ऋण सुविधा के रूप में ऋण 4,00,000/–रूपये (अखरे रूपये चार लाख मात्र) दिनांक 06.12.2012 को स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी सं0 1 ऋणी द्वारा अपनी चल व अचल सम्पति पट्टा संख्या 09, संकल्प संख्या 01/20.072012 तहसील श्रीविजयनगर में स्थित है जो श्री लाभ सिंह के नाम से है एवं माप 8000 वर्गफुट प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है, का वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत भोतिक कब्जा चाहा है। अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की ऋण राशि का नियमित रूप से भुगतान नही करने के कारण उनका ऋण खाता दिनांक 12.04.2016 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) घोषित कर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

दिया गया। अप्रार्थीगण को प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 04.05.2017 को डाक द्वारा भिजवाये गये।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी चल व अचल सम्पति पट्टा संख्या 09, संकल्प संख्या 01/20.072012 तहसील श्रीविजयनगर में स्थित है जो श्री लाभ सिंह के नाम से है एवं माप 8000 वर्गफुट प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। इस प्रकार जिस सम्पति का बैंक द्वारा कब्जा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार में स्थित है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 04.05.2017 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 04.05.2017 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस अप्रार्थी संख्या–1 **श्री लाभ सिंह (ऋणी) पुत्र श्री सुखदेव सिंह निवासी 17 एसडीए, 10 सरकारी तहसील विजयनगर का रजिस्टर्ड एडी के अनुसार नोटिस स्वयं पर तामील हुआ है एवं अप्रार्थी संख्या 02– श्रीमती चरणजीत कौर निवासी 7 एसडीए, 10 सरकारी तहसील विजयनगर व अप्रार्थी संख्या 03– श्री रोहिताश कुमार पुत्र लक्ष्मण राम निवासी 220, एसजीआर का दांया भाग, तहसील व जिला श्रीगंगानगर** पोस्ट ऑफिस की on line Track Consignment के अनुसार उन्हें नोटिस प्राप्त हो चुके है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक की बकाया ऋण राशि का भुगतान नही किया गया और नोटिस पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति या अभ्यावेदन भी पेश नहीं किया है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी बंधककर्त्ता श्री लाभ सिंह द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना आवश्यक है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अतः प्रार्थी बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी स्वयं श्री लाभ सिह पुत्र श्री सुखदेव सिंह निवासी 17 एसडीए 10 सरकारी तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखे गये पट्टा संख्या 09, संकल्प संख्या 01/20.072012 तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 8000 वर्गफुट) की सम्पत्ति का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त मकान का कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 23.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञानाराम)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर